

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-02-05/2024
प्रेषक,

8/472

/पटना, दिनांक 28.12.24

आदित्य प्रकाश
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप शीर्ष-0216- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित प्रावधान ₹ 150900.00 लाख (एक हजार पाँच सौ नौ करोड़) रु0 मात्र के विरुद्ध राशि ₹ 50000.00 लाख (पाँच करोड़) रु0 मात्र की राशि व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप शीर्ष-0216-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित प्रावधान ₹ 150900.00 लाख (एक हजार पाँच सौ नौ करोड़) रु0 मात्र के विरुद्ध ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- P-17024/4(1)/2017-RC(eFMS No-353870), Dt- 11.12.2024 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशासनिक मद के प्रथम ट्रॉच प्रथम किस्त के रूप में राज्य सरकार को विमुक्त केन्द्रांश मद की राशि ₹ 500.00 लाख (पाँच करोड़) रु0 मात्र को बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के Single Nodal Account के खाता संख्या-11111137916 में उपलब्ध कराने की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका विपत्र कोड-37-4515001030216 एवं विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य है।

2. इस योजना का व्यय मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप शीर्ष-0216- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के Single Nodal Account के खाता संख्या-11111137916, IFSC Code- SBIN0006379 में संधारित करेंगे।

Ru

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित निर्धारित नीति निर्देश में निहित प्रावधानों के आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक व्यय किया जायेगा।
5. सचिव, बी०आर०आर०डी०ए० उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय सीमा के अंदर ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. इस योजना के अंतर्गत राशि की निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम०-05-98-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-ब-15/बी०एस०जी०-09/2024-214 दिनांक- 06.03.2024 एवं पत्रांक-478 दिनांक- 06.08.2024 के आलोक में की जायेगी।
7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ०प्र०-02-05/2024 के पृष्ठ संख्या- 22/टि० पर एवं दिनांक-19.12.2024 को प्राप्त है।
8. इस योजना की उक्त राशि के व्यय के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

/पटना, दिनांक 26-12-24

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-02-05/2024

8472

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

/पटना, दिनांक 26-12-24

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-02-05/2024

8472

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/अभियंता प्रमुख, ग्रा०का०वि०/सचिव, ब्राडा ग्रा०का०वि०/सभी मुख्य अभियंता, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना विभाग (योजना शाखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

/पटना, दिनांक 26-12-24

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-02-05/2024

8472

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावधिकी, ग्रा०का०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के अवर सचिव